राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : — अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :—190 / 2023

दायर तारीख 13 / 12 / 2023

अनवान

1. मांगीलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियं कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)।

.... प्रार्थी

बनाम

01. राधेश्याम पुत्र नन्दा जाति खटीक उस वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
02. कंचन पुत्री हरजी पत्नि चतुर्भुज जाति खटीक उस वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया हाल जिला नीमच (म०प्र०)
03. कल्पना पुत्री चन्द्रप्रकाश जाति खटीक नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पा देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
04. गणेश पुत्र हरजी जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
05. जयप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
06. दीपक पुत्र चन्द्रप्रकाश जाति खटीक नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पा देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
07. नाराण पुत्र हरजी जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
08. प्रेमदेवी पत्नि तुलसीराम जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
09. पुष्पादेवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील काश्त पेशा बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
10. रूकमा पुत्री हरजी जाति खटीक निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०) **(मृतक)**
11. रामस्वरूप पुत्र हरजी जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
12. सुशीला पुत्री तुलसीराम पत्नि ओमप्रकाश जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियां कलां हाल मुकाम श्यामपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा (राज०)
13. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

.... विपक्षीगण

उपस्थित : 1. श्री रामफूल धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 7
3. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता विपक्षीगण सं0 2, 4, 10, 11

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 06/01/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता रामफूल धाकड ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नं० 2133/793 रकबा 0.1160 हैक्टेयर भूमि बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां में स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए 30 फीट चौडा रास्ता पार्श्वनाथ चौराहे से शक्करगढ चौराहे के मध्य स्थित सड़क से होकर रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 2126/802 में से होकर आगे खातेदारी आराजी नं0 2040/1657, आराजी संख्या 2041/1657 के मध्य से होकर आगे प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 2133/793 में पहुंचता है, उक्त रास्ते का प्रार्थी एवं पूर्व खातेदार कई वर्षों से निरन्तर उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही है। उपरोक्त आराजीयात एवं मौके पर रास्ते के आराजी संख्या आलामात मौजूद है विपक्षीगण की उक्त 2040/1657, 2041/1657, 2126/802 में उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपनी आराजी मे आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के आलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही है। यह कि प्रार्थी विपक्षीगण की उक्त आराजीयात पर स्थित 30 फीट चौडे रास्ते को रिकार्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार मुआवजा भुगतान को तैयार है।

अतः उक्त रास्ते का नियमानुसार कायम करवा कर, राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2075–2078 ग्राम बिजौलियां कलां एवं खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी (प्रतिलिपि) उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 13.12.2023 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड एडी. मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ एवं विपक्षीगण संख्या 2, 4, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता जगदीश चन्द्र धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 7 श्री मुकेश कुमार धाकड़ एवं अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 2, 4, 10, 11 श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 7 ने जवाब में अंकित किया कि किसी भी कृषि आराजी में जाने हेतु कमी 30 फिट चौडे रास्ते की आवश्यकता नही होती है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में 30 फिट चौड़ा रास्ता पार्श्वनाथ चौराहे से शकरगढ़ चौराहे के मध्य सड़क से होकर रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 2126/802 में से होकर आगे खातेदारी आराजी संख्या 2040/1657 आराजी संख्या 2041/1657 के मध्य से होकर आगे प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 2133/793 में पहुंचना बताया है जो सरासर गलत है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में विपक्षीगण की उक्त आराजीयात में से रास्ता किस दिशा में कहा तक किस आराजी में जाता है इसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में नही किया है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

यह कहना सरासर गलत है कि प्रार्थी एंव पुर्व के किसी खातेदार द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग किया हो प्रार्थी आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के किसी प्रकार के आलामात मौके पर मौजुद नही है क्योकिं जब रास्ता ही मौजुद नहीं था तो रास्ते के आलामात होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी आवेदक विपक्षी की आराजीयात को जबरन हड़प करना चाहता है एवं उसे परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नही है। विपक्षी द्वारा अपनी आराजी के कितने हिस्से पर आवेदक द्वारा कब्जा किया है उसकी जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। विपक्षी अपनी खातेदारी आराजी पर आवेदक द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटवाने हेतु अलग से न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

अधिवक्ता विपक्षीगण संख्या 2, 4, 10, 11 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 1, 4 जवाब की मोहताज नहीं है। कलम संख्या 2 व 3 प्रार्थी स्वयं साबित करावे। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। वर्तमान में उक्त वर्णित आराजी नम्बर अस्तित्व में नहीं है। प्रार्थी ने जानबुझकर गलत व झुठा व जवाबदाता को नाजायज परेशान करने की नियत से 30 फीट चौडा रास्ता की मांग की है। प्रार्थी ने द्वेषतापुर्वक रास्ता की मांग की है। इस कारण जवाबदाता को भारी मानसिक क्षति हुई एवं प्रकरण की पैरवी हेतू अधिवक्ता की फीस का भुगतान किया और मजदूरी छोड़कर पेशी कर आना पड़ा जिससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किया जाना विधि एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष गलत शपथपत्र व झुठा आवेदन पत्र रास्ता का पेश किया है जिसको सव्यय खारिज फरमाया जाकर जवाबदाता को हुई मानसिक क्षति व आर्थिक नुकसान प्रार्थी से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1766 दिनांक 28.10.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि भू0अ0नि0 बिजौलियां कलां एवं पटवारी हल्का बिजौलियां कलां की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिजौलिया कलां की आराजी नं0 2133/793 रकबा 0.1160 है0 वादी मांगीलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक निवासी बिजौलिया कलां के नाम दर्ज है। ग्राम बिजौलिया कलां की आराजी नं0 2040/1657, आ0नं0 2267/2041 (पुराने नम्बर 2041/1657) व आराजी नं0 2126/802 (नवीन आराजी नं0 2269/2126) में से 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है। राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति पर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। 30 फीट चौडाई का रास्ता दिये जाने पर निम्नलिखित रकबा प्रस्तावित है:–

क्र. सं.	आ0नं0	रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)	नाम खातेदार
1.	2040/1657	0.0120	राधेश्याम पुत्र नन्दा खटीक सा.देह
2.	2267/2041	0.0080	गणेश रामस्वरूप नारायण कंचन रूकमा पिता हरजी सुशीला जयप्रकाश पिता तुलसीराम प्रेमदेवी पत्नि तुलसीराम दीपक कल्पना पिता चन्द्रप्रकाश पुष्पादेवी पत्नि चन्द्रप्रकाश खटीक
3.	2269/2126	0.0220	बिलानाम सरकार
	कुल किता–3	**0.0420**	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपरोक्त आराजीयात एस.एच. से लगते हुये है। एन.एच.–27 से आराजी नं0 2269/2126 की 520 मीटर व शेष आराजी 2267/2041 व 2040/1657 की 720 मीटर की दूरी पर है। खनन स्वीकृत व संभावित क्षैत्र से 01 कि0मी0 से अधिक की दूरी पर स्थित है।

ग्राम बिजौलिया कलां की आराजी नं0 2040/1657 रकबा 0.0120 है0, आ0नं0 2267/2026 रकबा 0.0080 है0 आराजी नं0 2269/2126 रकबा 0.0220 है0 भूमि कुल किता–3 कुल मे से रकबा 0.0420 है0 भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 2639000/– रू0 प्रति है0 अनुसार भूमि की मालियत 110838/– रू0 का दुगुना से 221676/– रू0 बनते है।

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस उभयपक्षकारान सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि :–

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 2133/793 रकबा 0.1160 हैक्टेयर भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षीगण की ग्राम बिजौलिया कलां की आराजी नं0 2040/1657 रकबा 0.0120 है0, आ0नं0 2267/2026 रकबा 0.0080 है0 आराजी नं0 2269/2126 रकबा 0.0220 है0 भूमि कुल किता–3 कुल मे से रकबा 0.0420 है0 भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बिजौलिया कलां की आराजी नं0 2040/1657 रकबा 0.0120 है0, आ0नं0 2267/2026 रकबा 0.0080 है0 आराजी नं0 2269/2126 रकबा 0.0220 है0 भूमि कुल किता–3 कुल मे से रकबा 0.0420 है0 भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 2639000/– रू0 प्रति है0 अनुसार भूमि की मालियत 110838/– रू0 का दुगुना से 221676/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 06/01/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां